Details of NH-1 from New Delhi to Ambala

- **95. SH. BHARAT BHUSHAN BATRA, M.L.A.**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:
 - a) the width of the road owned by the State Government and Government of India from Delhi to Ambala i.e. NH-1 including master plan area of towns in between Delhi and Ambala;
 - b) the width of green belt from construction zone on both sides of abovesaid road as per the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and rules framed there under; and
 - c) the number of places of construction i.e. Shops, Dhabas, Banquet Halls, Godowns and any other structure raised in the green belt area togetherwith the steps taken by the Government to remove these unauthorized constructions?

DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER, HARYANA

Sir,

The statement is laid on the table of the house.

UNSTARRED ASSEMBLY QUESTION NO. 95 RAISED BY SHRI BHARAT BHUSHAN BATRA, M.L.A, ROHTAK CONSTITUENCY

Reply to each part of the question is as follows:-

- a) Entire road from Delhi to Ambala i.e. NH-1 (New NH-44) is owned by Govt. of India and details of width of road are at **Annexure-A**.
- b) As per Section 3 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (hereinafter referred as Act of 1963), there is provision of 30 metres wide restricted belt along scheduled roads and 100 metres along bypass and expressways. Further, the Development Plans for different controlled areas in the State are prepared under section 5 of said Act, wherein the green belts of different widths are proposed. The detail regarding width of green belts, as proposed in the development plans for the controlled areas along NH-1, is at Annexure - B.
- The number of places of constructions raised in the green belt area along
 NH-1 falling in the Controlled Area is at Annexure C.

In order to discourage the upcoming unauthorized constructions in green belt along NH-1, and enforcing the action, 134 structures have been detected, 133 Show Cause Notice, 132 Restorations Orders, 92 numbers of demolition have been carried out and 11 number of FIRs have also been registered against the violators. The district wise details of the aforementioned constructions are attached as **Annexure 'C'**. It is mentioned that this data pertains to outside Municipal Limits within Controlled Areas where the provisions of Act of 1963 is applicable.

The Act of 1963 enables Department of Town & Country Planning to take actions against unauthorized constructions / structures falling in restricted belt along scheduled roads. The powers of Director, Town and Country Planning for enforcing the provisions of Act of 1963 against the unauthorized construction with respect to NH-1, NH-2 and NH-8 have been delegated to PWD (B&R). Further, as per orders dated 23.08.2012 in the case of CWP No.17048 of 2007 titled as Rajat Kucchal Vs State of Haryana, any further action under the provisions of Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and Rules ibid is being taken only outside the Municipal Limits in every district.

Apart from above, in the District Panipat, DTP, (Enf.) is separately posted for enforcing of the said Act. The Town and Country Planning Department is also pro-active in spreading public awareness, so that general public does not raise unauthorized construction without taking the permission from the

department. Town and Country Planning Department is undertaking demolition activities in coordination with other agencies responsible for enforcement, viz., Urban Local Bodies, PWD (B&R) Department etc. Further, for the better implementation of the provisions of the above mentioned Act, and better coordination with the District Administration, a Task Force at District level under the Chairmanship of District Magistrate has been constituted vide notification dated 11.02.2011 which includes DTP, E.E. PWD(B&R), SDO (Civil) as members. Further, Town and Country Planning Department has also deputed Senior Town Planner (Enforcement & Vigilance), Haryana as Nodal Officer and Senior Town Planners of the Circles in the Department of Town & Country Planning as Sub Nodal Officers for checking the unauthorized constructions in the restricted belt along scheduled roads and to take action against them. Apart from above, regular review meetings are held by the Director, Town and Country Planning with field/ circle offices to check the progress of action against the unauthorized constructions.

Annexure-A

Details of width of road owned by Govt. of India from Delhi to Ambala i.e. NH-1 (New NH-44) as intimated by NHAI, including master plan area of towns in between Delhi and Ambala

Sr.	Road Chainage	Width of road owned by
No.		Govt. of India
1.	km 15.000 (Mukarba Chowk, Delhi)	
	to	90 meter
	km 29.300 (Haryana/Delhi Border)	
2.	Km 29.300 (Haryana/Delhi Border)	
	to	60 meter
	km 86.000 (Panipat)	
3.	Km 86.000 to km 96.000	Varies from 44 to 60 meter
	(Panipat Elevated Highway)	varies from 44 to 60 meter
4.	Km 96.000 (Panipat)	
	То	Varies from 47 to 97 meter
	km 212 (Haryana /Punjab Border)	

WIDTH OF GREEN BELT ALONG NH-1 (DELHI TO AMBALA)

District	Development	Width of green belt (in metres)				
	Plan	Within Agriculture Zone	Within Urbanisable Area & outside old MC limits	Within Old MC Limits, if any		
Sonipat	Sonipat-Kundli	50	50	Not Applicable		
	Ganaur	60	60	Not Applicable		
	Samalkha	60	60	NIL		
•	Panipat	60	50 (in Sector 6 Part, 7, 8	NIL		
			& 17, 18, 25 Part-1, 26,			
Panipat			27)			
			60 (In Sector 40,			
			29 Part-1, 30, 31)			
			Nil (in Sector 9)			
	Gharaunda	60	50	30		
•	Karnal	30	50 (excluding bypass)	50 (excluding		
			100 (along bypass)	bypass)		
Karnal				100 (along		
				bypass)		
	Nilokheri-	60	60	60		
	Taraori					
	Kurukshetra	60	100	Not Applicable		
•	Shahabad	30	30	NIL (towards		
Kurukshetra				east of NH)		
				30 (towards		
				west of NH)		
Ambala	Ambala	60	60	NIL		

Note: No part of NH-1 from Delhi to Ambala is uncontrolled and the same is entirely covered under the development plans mentioned above.

NO. OF PLACES OF CONSTRUCTION IN THE GREEN BELT ALONG NH-1 (DELHI TO AMBALA)

Districts located		No. of	Action under Section 12(2) of Act of 1963 within Controlled Area			
along NH-1 between New Delhi and Ambala	Types of construction	unauthorized constructions/ structures detected	No. of Show cause notices issued	No. of Restoration orders	No. of Demolitions	No. of FIRs Registere d
	Shop	0	0	0	0	0
	Dhaba	5	5	5	5	0
Ambala	Banquet Hall	0	0	0	0	0
Ambaia	Godown	0	0	0	0	0
	Any other	0	0	0	0	0
	Total	5	5	5	5	0
	Shop	9	9	9	9	0
	Dhaba	13	13	13	3	6
Kurukshetra	Banquet Hall	0	0	0	0	0
Ruiuksiielia	Godown	0	0	0	0	0
	Any other	6	6	6	1	2
	Total	28	28	28	13	8
	Shop	0	0	0	0	0
	Dhaba	40	40	40	33	3
Karnal	Banquet Hall	0	0	0	0	0
Namai	Godown	1	1	1	0	0
	Any other	0	0	0	0	0
	Total	41	41	41	33	3
	Shop	10	10	9	9	0
	Dhaba	37	37	37	27	0
Panipat	Banquet Hall	0	0	0	0	0
	Godown	0	0	0	0	0
	Any other	2	1	1	0	0
	Total	49	48	47	36	0
	Shop	6	6	6	0	0
	Dhaba	5	5	5	5	0
Soningt	Banquet Hall	0	0	0	0	0
Sonipat	Godown	0	0	0	0	0
	Any other	0	0	0	0	0
	Total	11	11	11	5	0
	Grand Total	134	133	132	92	11

नई दिल्ली से अम्बाला तक राष्ट्रीय राजमार्ग-01 का ब्यौरा

- 95. श्री भारत भूशण बत्तरा, एम०एल०ए० : क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि
 - (क) दिल्ली से अम्बाला तक राज्य सरकार तथा भारत सरकार के स्वामित्व वाली सड़क अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग-01 जिसमें दिल्ली तथा अम्बाला के बीच भाहरों के क्षेत्र का मास्टर प्लान भामिल है, की चौड़ाई कितनी है;
 - (ख) पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बंधन अधिनियम, 1963 के अनुसार उपरोक्त सड़क के दोनों ओर निर्माण क्षेत्र से हिरत पट्टी की चौड़ाई कितनी है तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम क्या हैं: तथा

(ग) हरित पट्टी क्षेत्र में निर्माण स्थलों अर्थात् दुकानों, ढ़ाबों, बैंक्वेट हॉल, गोदामों तथा बनाये गए अन्य ढ़ांचों की संख्या कितनी है तथा सरकार द्वारा इन अनाधिक'त निर्माणों को हटाने के लिए क्या पग उठाए गए ?

दुष्यन्त चौटाला, उप मुख्यमंत्री, हरियाणा श्रीमान् जी,

विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

श्री भारत भूशण बत्तरा, एम0एल0ए0 रोहतक निर्वाचन क्षेत्र द्वारा पूछा गया अतारांकित विधानसभा प्रश्न संख्या 95.

प्र□न के प्रत्येक भाग का उत्तर इस प्रकार है:-

- (क) दिल्ली से अम्बाला राष्ट्रीय राजमार्ग न.1 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग 44) की सारी जमीन भारत सरकार के अधीन है तथा सड़क की चौड़ाई का विवरण अनुलग्नक 'क' में विस्तारित है।
- (ख) पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 की धारा 3 के अर्न्तगत अनुसूचित सड़क के साथ—साथ 30 मीटर तथा बाईपास और दूतमार्गों के साथ—साथ 100 मीटर की निर्बन्धित पट्टी का प्रावधान है। आगे, राज्य में विभिन्न नियंत्रित क्षेत्रों के लिए उक्त अधिनियम की धारा—5 के अर्न्तगत विकास योजनाएं तैयार की जाती है, जिनमें विभिन्न चौड़ाई की हरित पट्टिया प्रस्तावित है। राश्ट्रीय राजमार्ग—1 के साथ लगते नियंत्रित क्षेत्रों की विकास योजना में प्रस्तावित हरित पट्टियों की चौड़ाई से सम्बन्धित विवरण अनुलग्नक—'ख ' पर दिया गया है।
- (ग) नियंत्रित क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-1 (नई दिल्ली से अम्बाला) के साथ ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में बनाए गए निर्माण के स्थानों की संख्या का विवरण अनुलग्नक-'ग' पर दिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के साथ ग्रीन बेल्ट में आने वाली अनाधिकृत निर्माणों को हतोत्साहित करने के लिए, और अग्रिम कार्यावाही को लागू करने के लिए, 134 संरचना/इमारतों का पता लगाया गया है, 133 कारण बताओं नोटिस व 132 पुनर्स्थापन आदेश जारी किये गये हैं। 92 सरंचना विध्वंस की गयी हैं और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 11 एफ.आई.आर भी दर्ज करवायी गयी है। उपरोक्त निर्माणों का जिलेवार विवरण अनुलग्नक—'ग' पर दिया गया है। यह भी उल्लेख किया गया हैं कि यह विवरण नगर निगम सीमा से बाहर नियंत्रित क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं, जहां अधिनियम 1963 के प्रावधान लागू हैं।

पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को अनुसूचित सड़कों के साथ प्रतिबंधित बेल्ट में आने वाले अनाधिकृत निर्माणों / सरंचनाओं के खिलाफ कार्यवाही करने में सक्षम बनाता है। अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ अधिनियम 1963 के प्रावधानों को लागू करने के लिए, निदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की शक्तियां राश्ट्रीय राज मार्ग—1, राश्ट्रीय राज मार्ग—2, और राश्ट्रीय राज मार्ग—8 के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग (भवन एंव सड़क) को सौंप दी गयी है। इसके अलावा, सिविल रिट याचिका के केस नम्बर 17048 ऑफ 2007 (रजत कुच्छल बनाम हरियाणा राज्य) में पारित 23.08.2012 के आदेशों के अनुसार, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन

अधिनियम, के प्रावधानों के तहत कोई भी कार्यवाही हर जिले में केवल नगर निगम सीमा के बाहर की जा रही है।

उपरोक्त के अलावा, पानीपत जिले में जिला नगर योजनाकार, प्रवर्तनद्ध को अलग से उक्त अधिनियम को लागू करने के लिए तैनात किया गया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग जन जागरूकता फैलाने में भी सिकय है, ताकि आम जनता विभाग से अनुमति लिए बिना अनाधिकृत निर्माण न करे। विभाग प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार अन्य एजेंसियों, भाहरी स्थानीय निकाय, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) आदि के साथ समन्वय में विध्वंस गतिविधियों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा, उपरोक्त वर्णित अधिनियम के प्रावधानों के बेहतर कार्यान्वयन और जिला प्र□ाासन के साथ बेहतर समन्वय के लिए, जिला मजिस्ट्रेट स्तर की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन दिनांक 11.02.2011 को अधिसूचित किया गया है जिसमें जिला नगर योजनाकार, कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), उपमण्डल अभियंता (सिविल) भामिल है। इसके अलावा, अनुसूचित सड़कों के साथ प्रतिबंधित बेल्ट में अनाधिकृत जांच और उनके खिलाफ कारवाई करने के लिए नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग ने वरिश्ठ नगर योजनाकार (प्रवर्तन और चौकसी) को हरियाणा में नोडल ऑफिसर और नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग के सर्कल कार्यालय में वरिश्ठ नगर योजनाकारों को सब-नोडल ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया है। उपरोक्त के अलावा, अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ कारवाई की प्रगति की जांच करने के लिए फील्ड / सर्कल कार्यालयों के साथ निदें विक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती है।

अनुलग्नक—'क'

भारत सरकार के स्वामित्व में दिल्ली से अम्बाला राष्ट्रीय राजमार्ग—1 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग—44) की चौड़ाई का विवरण, जिसमें दिल्ली तथा अम्बाला के बीच भाहरों के क्षेत्र का मास्टर प्लान भामिल है, इस प्रकार है:—

कमांक	चेनेज	भारत सरकार के स्वामित्व में सड़क
		की चौड़ाई
1.	कि0मी015.000 (मुकरबा चौक, दिल्ली)	
	से	90 मीटर
	कि0मी0 29.300 (हरियाणा / दिल्ली सीमा)	
2.	कि0मी0 29.300 (हरियाणा / दिल्ली सीमा)	
	से	60 मीटर
	कि0मी0 86.000 (पानीपत)	
3.	कि0मी0 86.000 to कि0मी0 96.000	44 to 60 मीटर के बीच
	(पानीपत एलिवेटिड हाईवे)	
4.	कि0मी0 96.000 (पानीपत)	
	से	47 to 97 मीटर के बीच
	कि0मी0 212 (हरियाणा / पंजाब सीमा)	

अनुलग्नक—'ख' राष्ट्रीय राजमार्ग−1 (दिल्ली से अम्बाला) के साथ–साथ हरित पटि्टयों की चौड़ाई

जिला	विकास योजना	हरित पट्टी की चौड़ाई (मीटर में)			
		कृशि अचंल में	भाहरीकरण योग्य	पुरानी नगर	
		_	क्षेत्र में तथा	पालिका सीमा	
			पुरानी नगर	के अन्दर, यदि	
			पालिका सीमा से	कोई है	
			बाहर		
सोनीपत	सोनीपत–कुंडली	50	50	लागू नहीं	
	गन्नौर	60	60	लागू नहीं	
पानीपत	समालखा	60	60	भाून्य	
	पानीपत	60	50 (सैक्टर 6	भाून्य	
			भाग, ७, ८ तथा		
			17, 18, 25		
			भाग—1, 26, 27 में)		
			60 (सैक्टर 40,		
			29 भाग-1, 30,		
			31 में)		
			भाून्य (सैक्टर 9		
			में)		
	घरौण्डा	60	50	30	
	करनाल	30	50 (बाईपास	50 (बाईपास	
करनाल			छोड़कर)	छोड़कर)	
4.4.1141			100 (बाईपास के	100 (बाईपास	
			साथ-साथ)	के साथ–साथ)	
	निलोखेड़ी–तरावड़ी	60	60	60	
	कुरूक्षेत्र	60	100	लागू नहीं	
	भााहबाद	30	30	भाून्य (राश्ट्रीय	
				राजमार्ग के पूर्व	
				की ओर)	
कुरूक्षेत्र				30 (राश्ट्रीय	
				राजमार्ग के	
				पिचम की	
				ओर)	
अम्बाला	अम्बाला	60	60	भाून्य	
) man ar and		 		

टिप्पणीः दिल्ली से अम्बाला तक राश्ट्रीय राजमार्ग 1 का कोई भी हिस्सा नियंत्रित क्षेत्र से बाहर नहीं है और यह संपूर्णतः ऊपर वर्णित विकास योजनाओं के अंतर्गत आता है।

अनुलग्नक—'ग' नियंत्रित क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 (दिल्ली से अम्बाला) के साथ ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में बनाए गए निर्माण के स्थानों की संख्या का विवरण

दिल्ली से			नियंत्रित क्षेत्र के भीतर 1963 के अधिनियम की धारा 12 (2) के तहत कार्यवाही			
त अम्बाला के बीच में स्थित जिलों की सूची	प्रकार	अनाधिकृत निर्माणों / सरंचनाओं की संख्या	जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की संख्या	जारी किये गये पुर्नस्थापन नोटिस की संख्या	विध्वंस की संख्या	पंजीकृत एफ0आई0 आर0 की संख्या
	दुकान	0	0	0	0	0
	ढाबा	5	5	5	5	0
	बैंकेट हाल	0	0	0	0	0
अम्बाला	गोदाम	0	0	0	0	0
	अन्य	0	0	0	0	0
	कुल जोड़	5	5	5	5	0
	दुकान	9	9	9	9	0
	ढाबा	13	13	13	3	6
	बैंकेट हाल	0	0	0	0	0
कुरूक्षेत्र	गोदाम	0	0	0	0	0
	अन्य	6	6	6	1	2
	कुल जोड़	28	28	28	13	8
	<u> </u>	0	0	0	0	0
	ढाबा	40	40	40	33	3
कामन	बैंकेट हाल	0	0	0	0	0
करनाल	गोदाम	1	1	1	0	0
	अन्य	0	0	0	0	0
	कुल जोड़	41	41	41	33	3
	दुकान	10	10	9	9	0
	ढाबा	37	37	37	27	0
पानीपत	बैंकेट हाल	0	0	0	0	0
MINIAU	गोदाम	0	0	0	0	0
	अन्य	2	1	1	0	0
	कुल जोड़	49	48	47	36	0
	दुकान	6	6	6	0	0
सोनीपत -	ढाबा	5	5	5	5	0
	बैंकेट हाल	0	0	0	0	0
	गोदाम	0	0	0	0	0
	अन्य	0	0	0	0	0
	कुल जोड़	11	11	11	5	0
	मुख्य जोड़	134	133	132	92	11